सं0सं0–9 / सा0आ0–244 / 2003

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

डा0 चन्दन प्रसाद सिंह, तत्कालीन जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, पटना पुनः चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुआ, वैशाली के द्वारा क्रय नीति का अवहेलना करते हुए अनियमित रूप से दवा क्रय करने, गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने एवं प्राप्त आवंटन से अधिक राशि की दवा एम0एस0डी0 कोलकता से क्रय करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0–271(18) दिनांक–23.02.1999 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–547(18) दिनांक–23.03.1999 एवं संशोधित संकल्प सं0–1306(18) दिनांक–16.08.1999 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–175(3) दिनांक–14.02.2003 द्वारा डा0 चन्दन प्रसाद सिंह से द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी।

3. डा0 सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा में जो तथ्य प्रस्तुत किया गया वह अधिगम में प्रमाणित आरोपों के संबंध में युक्तिसंगत एवं तथ्यपूर्ण नहीं होने के कारण उसे अस्वीकृत करते हुए डा0 सिंह को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–2091 दिनांक–01.12.2003 के द्वारा प्राप्त सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की दिनांक–16.06.2004 की बैठक में स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0–1086(9) दिनांक–10.07.2004 के द्वारा डा0 सिंह को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया।

4. डा0 सिंह द्वारा अपने बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–17438 / 2008 दायर किया गया, जिसमें दिनांक– 11.08.2011 को पारित आदेश में याचिका को खारिज कर दिया गया। तदालोक में डा0 सिह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल0पी0ए0 संख्या–472 / 2012 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–05.02.2018 को पारित आदेश में बर्खास्तगी के अवधि अर्थात् दिनांक–10.07.2004 से 2014 तक अनुमान्य वेतनादि का 50% प्रतिशत राशि का भुगतान करने का आदेश पारित किया गया।

5. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के आलोक में मामलें की समीक्षा विभाग द्वारा किया गया। तदोपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका संख्या–22017 / 2019 राज्य सरकार बनाम डा0 चन्दन प्रसाद सिंह दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय, द्वारा दिनांक–25.10.2021 को पारित न्यायादेश का कार्यशील अंश निम्नवत हैः–

"In view of the above and for the reasons stated the present appeal succeeds in part. The impugned judgment and order passed by the High Court allowing 50% of the salary is hereby quashed and set aside. The respondent shall be entitled to the continuity of service as well as all post retirement benefits which shall be paid to the respondent by the applellant(s) within a period of four weeks from today, if not paid so far.

"The Appeal is allowed to the aforesaid extent. No order as to cost."

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के आलोक में विधि विभाग, बिहार से मंतव्य की माँग की गयी। तदालोक में विधि विभाग, बिहार द्वारा दिनांक–11.01.2022 को मंतव्य उपलब्ध करायी गयी।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के अनुपालन हेतु डा0 चन्दन प्रसाद सिंह, तत्कालीन जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, पटना पुनः चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुआ, वैशाली को विभागीय संकल्प सं0–1086(9) दिनांक–10.07.2004 द्वारा संसूचित बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए सेवा में पुनर्स्थापित करने तथा दिनांक–10.07.2004 से उनके सेवानिवृति की तिथि–30.04.2014 तक नियमित सेवा मानने के साथ–साथ "कार्य नही तो वेतन नहीं" के सिद्धांत को मानते हुए पेंशन एवं सेवान्त लाभों के भुगतान के प्रस्ताव पर दिनांक–21.06.2022 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–09 पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गयी।

8. अतः डा0 चन्दन प्रसाद सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुआ, वैशाली को बर्खास्तगी की तिथि–10.07.2004 से सेवानिवृत्ति की तिथि–30.04.2014 के लिए सेवा में पुनर्स्थापित किया जाता है। उक्त अवधि में उन्हें "कार्य नही तो वेतन नहीं" के सिद्धांत को मानते हुए पेंशन एवं सेवान्त लाभों का भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

आदेशः–संकल्प की प्रति डा0 चन्दन प्रसाद सिंह एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(राम ईश्वर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–9/सा0आ0–244/2003(स्वा0) 531(9) **/ पटना, दिनांकः** 4/7/22

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना/तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, पटना/वैशाली/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डा0 चन्दन प्रसाद सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुआ, वैशाली सम्प्रति सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2,3,7,8,10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–Departmental PMU Lead को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।